

FROM No.III

सहायक कलेक्टर (SDO) फर्द अहकाम  
(नियम 26)

बायतु

अज अदालत..... मुकाम.....

करनाम बनाम गुलाबालिंह करार

किस्म मुकदमा रा. आवे 111/28 RLRACT नं. 24/18 सन्. 2018

| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 09/10/18   | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>जगदीश गोडारा</u><br/> ने यह प्रार्थनापत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLRACT</u><br/> राजस्थान कायदाकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।<br/> जो दर्ज रजिस्टर हो। विपक्षी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन<br/> तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>26/11/18</u> को पेश हो।</p> | <p>One</p>   |
| 26/11/18   | <p>प्रार्थी वकील उपलब्ध। विपक्षीगणों<br/> के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी अजवाब<br/> गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई<br/> है। सीमान पीठामान अधिकारी चुनाव डायरी<br/> में ध्यान देने से मिशाल इल्लवा डीउड<br/> आगामी दिनांक 17/12/18 को पेश हो।</p>  |  |
| 17/12/18   | <p>प्रार्थी वकील उपलब्ध। विपक्षीगणों<br/> की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। सीमान<br/> पीठामान अधिकारी अकडवा से पत्रारे<br/> उप ही अतः मिशाल इल्लवा डीउड<br/> आगामी दिनांक 31/12/18 को पेश हो।</p>  |  |

31/12/18

पार्थी वडील उपस्थित। अपाथीगिणो  
ही एडी पुनः प्राप्त नही हुई है। सीमान  
पीठामीन अधिकारी काउ डोटपट डिग्न डामो  
में व्यत्यय होने ले मिशाल इल्लवा दोहर  
आगामी दिनांक 26/02/19 को पेश है।

कमाक/रा

26/02/19

पार्थी वडील उपस्थित। अपाथीगिणो ही एडी  
पुनः प्राप्त नही हुई है। सीमान पीठामीन अधिकारी  
डिग्न डामो में व्यत्यय होने ले मिशाल इल्लवा  
दोहर आगामी दिनांक 08/04/19 को पेश है।

08/04/19

पार्थी वडील उपस्थित। अपाथीगिणो के नोडिस  
द्वारे में जरिमे बुजिस्ट्र एडी अजवाये गये जिन्को  
डोव 6 माह ले अधिकु का समय व्यक्तित हो  
चुका है। जिन्की मोर ले डोई अधिकस्त या  
के स्वयं डोई उपस्थित नही हुआ। न्यायालय  
समय लेन बार आवज लगाई गई, अंतिय आवज  
5.45 PM पर लगाई गई अपाथीगिण स्वयं या  
उनकी मोर ले डोई अधिकस्त उपस्थित नही हुआ  
लिटाजा. इनके विरुद्ध एडलरका डामेवडी प्रमल में काई  
जाली है। पार्थी के अधिकस्त ही एडपलीय वइस पुनी  
गई, पार्थी के अधिकस्त ले कतामा ही पार्थी के प्रयने  
व्यालेगरी येतो के चारो मोर पम्डे नैयम त्थापित  
प्रवाना आवश्यक है। इसलिए पार्थी का नैयमवन्ती प्रवे-  
दन त्वाडा हीया जाडर नैयमवन्ती मोरेका हीया जावे।  
अतः पार्थी अधिकस्त के निवेदन पर  
पार्थी का नैयमवन्ती प्रवेदन त्वाडा हीया जाडर त्हा-  
लीयडर व्यक्तु को डामेवन निधुक्त हीया जाला है व  
मोरेका डिमा जाला है कि प्राय स्वयं या प्रयने अधिकस्त  
हीली भी अरु डामिलेन निरिस्त ले पार्थी के व्यालेगरी  
येतो ही पम्डी नैयमवन्ती मोरे पर बुलड जमाडराडु  
इरे पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल प्रभावली है,  
प्रभावली प्रमल कुमार मी डर्ज नम्बर ले डम ही दाखिल  
पम्तर है।

सुपखण्ड अधिकारी बायलु  
मिला: बाकमेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / रा.आवे. / 2019 / 193

दिनांक:- 10/04/19

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1 करनाराम पुत्र उदाराम जाति जाट  
निवासी बाण्डी धोरा पनावड़ा  
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1 गुलाबसिंह पुत्र पहाड़सिंह वगैरा 16  
निवासी बाण्डी धोरा पनावड़ा  
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या / 19

आदेश

मौजा बाण्डी धोरा पटवार हल्का पनावड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 298 299, 300 रकबा क्रं. 0.05, 0.17, 95.02 बीघा कुल रकबा 96.04 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलकदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा / बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला - बाड़मेर  
09.5.2019  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 10/04/19



कमांक / रा.आवे. / 2019 / 194 - 198

प्रतिनिधि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।

2. पटवारी पनावड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।

3. प्रार्थी श्री करनाराम वगैरा

4. विप्रार्थी श्री गुलाबसिंह वगैरा

5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला - बाड़मेर  
09.5.2019  
उपखण्ड अधिकारी बायतु